न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 430 सन 2020
अनवान :–

1. भरतसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 11/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 212/184 के खसरा न0 257 की 19.1090हैक्ट जिसमें वादी 1/36 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से भरतराम पुत्र बलवन्त दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम भरतसिह पुत्र बलवन्तसिह है वादी को भरतराम एव भरतसिह दोनो नामा से पुकारा जाता था सहवन से राजस्व रिकार्ड में भरतराम दर्ज हो गया लेकिन अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम भरतसिह पुत्र बलवन्तसिह दर्ज है सही नाम भरतसिह है वादी अपना नाम स्थान सही करवाने का अधिकारी है।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो पहचान पत्र, व रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 347 की जमाबन्दी पेश की गई जिसमें वादी का सही नाम भरतसिह पुत्र बलवन्तसिह दर्ज है एवं सरंपच ग्राम पंचायत देइदास की तस्दीक नाम के सम्बध में पेश की जिसके अनुसार भी वादी का सही नाम भरतसिह है। अर्थात सही नाम भरतसिह है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी का राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नही मिल पा रहा है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपना नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 212/184 के खसरा न0 257 की 19.1090हैक्ट जिसमें वादी 1/36 हिस्सा में वादी का नाम भरतराम के स्थान पर भरतसिह पुत्र बलवन्तसिह संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिय सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर वादी का नाम राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 212/184 के खसरा न0 257 की 19.1090हैक्ट जिसमें वादी 1/36 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से भरतराम पुत्र बलवन्त दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम भरतसिह पुत्र बलवन्तसिह है वादी को भरतराम एव भरतसिह दोनो नामा से पुकारा जाता था सहवन से राजस्व रिकार्ड में भरतराम दर्ज हो गया लेकिन अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम भरतसिह पुत्र बलवन्तसिह दर्ज है सही नाम भरतसिह है वादी अपना नाम स्थान सही करवाने का अधिकारी है।

वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो पहचान पत्र, व रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 347 की जमाबन्दी पेश की गई जिसमें वादी का सही नाम भरतसिह पुत्र बलवन्तसिह दर्ज है एवं सरंपच ग्राम पंचायत देइदास की तस्दीक नाम के सम्बध में पेश की जिसके अनुसार भी वादी का सही नाम भरतसिह है। अर्थात सही नाम भरतसिह है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से वादी का राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नही मिल पा रहा है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपना नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अत : वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 212/184 के खसरा न0 257 की 19.1090हैक्‍ जिसमें वादी 1/36 हिस्सा में वादी का नाम भरतराम के स्थान पर भरतसिह पुत्र बलवन्तसिह संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 212/184 के खसरा न0 257 की 19.1090हैक्‍ जिसमें वादी 1/36 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी का नाम भरतराम दर्ज है।

वादी का कथन है कि उसका सही नाम भरतसिह पुत्र बलवन्तसिह है वादी का उचारण के कारण राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज हुआ है वादी का सही नाम भरतसिह पुत्र बलवन्तसिह है यही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सभी दस्तावेजात में यही नाम दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मतदाता फोटो रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 387 व संरपच ग्राम पंचायत देईदास के अनुसार वादी का नाम भरतसिह दर्ज है

सरंपच ग्राम पंचायत देईदास के प्रमाण पत्र के अनुसार भी वादी का सही नाम भरतसिह पुत्र बलवन्तसिह वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं संरपच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र एवं पेरोकार राज ने किसी प्रकार का ऐतराज नही करने पर वादी का सही नाम भरतसिह पुत्र बलवन्तसिह होना प्रतीत होता है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से सयुक्त खातेदारों के हिस्सा में किसी प्रकार का परिर्वतन नही होता है वादी के नाम संशोधन से राज्यहकों को कोई नुकसान नही होता है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /शपथ पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत देईदास के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 212/184 के खसरा न0 257 की 19.1090हैक्‍ जिसमें वादी 1/36 हिस्सा में दर्ज भरतराम पुत्र बलवन्तसिह के स्थान पर भरतसिह उर्फ भरतराम पुत्र बलवन्तसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. भरतसिह पुत्र बलवन्तसिह जाति जाट निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 430 सन 2020 निर्णय दिनांक–11/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपरिथति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 212/184 के खसरा न0 257 की 19.1090हैक जिसमें वादी 1/36 हिस्सा में दर्ज भरतराम पुत्र बलवन्तसिह के स्थान पर भरतसिह उर्फ भरतराम पुत्र बलवन्तसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner